

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
बल्लभ भवन भोपाल-462004

क्रमांक-ए-73- ६३/2006/20-3
प्रति,

भोपाल, दिनांक

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीति बिहार, नई दिल्ली ।

विषय:- अशासकीय संस्था - सेंट जोसेफ कार्नेट हायर सेकंडरी, स्कूल, इंडिया
को सी. बी. एस. ई /आई. सी. एस. ई नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बाबत ।

राज्य शासक द्वारा अशासकीय संस्था सेंट जोसेफ कार्नेट हायर सेकंडरी स्कूल
इंटोर्नी को सी. बी. एस. ई /आई. सी. एस. ई, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित गतर्ओ पर दिया
जाता है:-

1. प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएँ स्थापित हो चुकी हैं, उनका लाभ प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सकें इस हेतु संस्था की कार्यकारिषी में म. प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जाये ।
2. विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक, एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान छात्रावास शव्वन सूचिधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायें ।
इस हेतु तंथा से व्यवहार करने पर लिखाया जाये ।
3. इस संस्थाओं के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा ।

 निरन्तर.. 2 पर


PRINCIPAL
St. Joseph's Convent
Higher Secondary School
1st (M.P.)

4. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वा अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरांत भी म. प्र. राज्य शासन व लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभ्य-समय पर शिक्षा के प्रबंध सर्व विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करने का वचन-पत्र संस्था से प्राप्त किया जायेगा ।
5. संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा ।
6. प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहायोग सर्व सार्थक भूमिका प्रदान करेगे ।
7. अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय प्रकाशित किये जायेगे । शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा ।
8. छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तके सर्व लेखन सामग्री छली बाजार से क्रय करने की सुविधा रहेगी । किसी दुकान विशेष से क्रय करने की बाध्यता नहीं रहेगी ।
9. शिक्षण संस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्रियान्वयित अग्नि शमन यंत्रों की आक्रमणक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा ऐक्षणिक संस्थाओं के संबंध में सभ्य-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा ।
10. संस्था के छात्रों को उनके निवास से विदालय तक लाने सर्व वापिस निवास तक भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त सर्व वैध वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा । छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू स्ल. पी. जी. आदि से संयोजित नहीं किया जायेगा ।

निर्देशक... ३ वर


PRINCIPAL
St. Joseph's Government
Higher Secondary School
Itarsi (M.P.)

11. निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रदेश देने से इन्कार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिक्षाधित यदि सिध्द पाई गई तो संस्था का अनापूर्ति प्रमाप-पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

12. संस्था के दृस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा नाम्यदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिवंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

॥ श्री राम पगारे ॥

म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ ०७०-एक-७३-६४ / २००६/२०-३
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक ५/८/२००३

की ओर सूचनार्थ स्वं आवश्यक कार्यदाही हेतु अग्रेशित ।

अद्वर सचिव

मृ प्रा. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

lakshmi
PRINCIPAL
St. Joseph's Convent
Higher Secondary School
Itarsi (M.P.)